ग्राम पंचायत जमूला, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना :—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जमूला, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत जमूला में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान :—

1	श्रीमति रीना कटोच	01.04.2023 से 31.03.2024

सचिव :—.

1	श्री करम दीन	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत जमूला के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.78

2	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	22.02
3	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.21
5	6.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.03
6	7	ट्रांजिट पास फार्म X या Y प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान।	3.09
7	8	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना भुगतान करना ।	0.65
8	9	दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.02

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है । अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

क0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– की राशि ड्राफ्ट संख्या 578597 दिनांक 12.09.2023 द्वारा निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दी गई हैं अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है।
2	4.1	अनिर्णीत।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	5	अनिर्णीत ।

5	6	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
6	7	अनिर्णीत ।
7	8	अनिर्णीत ।
8	9	अनिर्णीत ।
9	10	अनिर्णीत ।
10	11	अनिर्णीत ।
11	12	अनिर्णीत ।
12	13	अनिर्णीत ।
13	14	अनिर्णीत ।
14	15	अनिर्णीत ।
15	16	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जमूला विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.09.2024 से 11.09.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2023–2024	03/2024	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत जमूला विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 2400/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369 दिनांक 11.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत जमूला विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत जमूला के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2023–24	630244.41	144520	37440	812204.41	177598	634606.41

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत जमूला के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2023–24	1892141.95	2951178	35676.65	4878996.6	2677264	2201732.6

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source,CMSC, 5TH, 14thFC, ,15th FC,

BGP,SBM',SJVN,SDP,.

A/c No. 1541000100009023	PNB DAROH	471541.83
A/c No.20093004053	KCCB GARH	1339283
A/c No. 1541000102079048	PNB DAROH	84640.94
A/c No 1541000102110460	PNB DAROH	5292

A/c No 501003325225026	HDFC 15th FC	1013537.3
cash in hand		0
	Total	**2914295.07**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		634606.41
Cash Book Balance on 31.03.2024		0
Cash Book Balance on 31.03.2024		185825
Cash Book Balance on 31.03.2024		5292
Cash Book Balance on 31.03.2024		1013537.3
Cash Book Balance on 31.03.2024		1000000
Cash Book Balance on 31.03.2024		2032.3
Cash Book Balance on 31.03.2024		-19500
Cash Book Balance on 31.03.2024		14546
	Total	**2836339.01**
	diffrence	**-77956.06**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.78 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षापत्ति उपरान्त भी रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना निमयों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹77,956/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370 दिनांक 11.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा । गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति

के प्रतिउत्तर में दिये गये आश्वासन के उपरान्त भी केई सुधारात्मक कार्यवाही अमल में न लाना स्वतः गम्भीर आपत्तिजनक है।

अतः अंकेक्षण को दिये पुनः आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :—

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय—व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के प्रति उत्तर में दिये गये आश्वासन के उपरान्त भी लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेर्शों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 371 दिनांक 11.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे—166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को पुनः दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹22.02 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 22,01,732.60 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. पंचायत राजस्व ₹0.21 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का राजस्व ₹ 20,668/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्श	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2023–2024	15260	30500	45760	25092	20668

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 372 दिनांक 11.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 20,668/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6.1 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹2,650/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2,650/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि**
1	2023–24	2650.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 373 दिनांक 11.09.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

7. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹3.09 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी

नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹** 3,08,499/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 374 दिनांक 11.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यु प्राप्त नहीं किये गये है । अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्व एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्व किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 0.65 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 65,403/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग

अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 375 दिनांक 11.09.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में निविदायें प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

अतः गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 में वर्णित दर्ज अंकेक्षणापत्ति के उपरान्त भी कोई सुधारात्मक कार्यवाही अमल में न लाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करें व किये गये क्रय/व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें अन्यथा विभागीय स्तर पर इस अनियमितता की पुनरावृति हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
04, 24.04.23	बिल नं0 609 दि0 2.3.23 शर्मा इलैक्टिकल एण्ड हार्डवेयर	बिजली सामान	13415.00	नि0 निर्माण शौचालय केदारा मन्दिर के पास CMSC
06, 24.04.23	बिल नं0 119 दि0 शून्य शर्मा इलैक्टिकल एण्ड हार्डवेयर	एल्मूनियम दरवाजे	9800.00	नि0 निर्माण शौचालय केदारा मन्दिर के पास CMSC
17, 08.05.23	बिल नं0 89 दि0 08.05.23 शर्मा इलैक्टिकल एण्ड हार्डवेयर	सरिया	9293.00	नि0 शौचालय सामुदायिक भवन तलीनू CMSC
27, 06.06.23	बिल नं0 123 दि0 शून्य नीलम एल्मूनियम	एल्मूनियम दरवाने	11245.00	नि0 शौचालय सामुदायिक भवन तलीनू CMSC
33, 01.07.23	बिल नं0 465 दि0 शून्य शर्मा इलैक्टिकल एण्ड हार्डवेयर	सैनिटरी फिटिंग	21920.00	नि0 शौचालय सामुदायिक भवन तलीनू CMSC

9. दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना ।

निदेशक, हि0 प्र0 पंचायती राज विभाग के पत्र सख्या PCH(1)5/2009-II-Instruction-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में पंचायत सदस्य के विरूद्व धनराशि की वसूली सहित निलम्बन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पचांयत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल मे एक ही दिन निम्नविवरणानुसार दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की अवहेलना है, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 376 दिनांक 11.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

क्र0सं0	पंचायत सदस्य का नाम	मस्ट्रोल सं0 व अवधि	मस्ट्रोल व पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1	वबिता	6106, 01.02.24 से 15.02.24	14.02.24	500	224
2	घुंघरी	6104, 01.02.24 से 15.02.24	14.02.24	500	240
3	सुमन लता	6105, 01.02.04 से 15.02.024	14.02.24	500	240

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

10. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹20.41 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड वही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 20,41,247.57 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

31.03.2024 को प्रिया सार्फटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	4877586.63
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2836339.01
अन्तर	₹	2041247.57

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377 दिनांक 11.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे—166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास

कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377/1 दिनांक 11.09.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः जीपीजे–166 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं । अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

1	नि० शौचालय सामुदायिक भवन तलीनू CMSC

12. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14. लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15. **निष्कर्ष** :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

0 2 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का० प्रति०
5806—5810

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)361 / 2023—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जमूला विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 2 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का० / प्रति०

परिशिष्ट-1

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 के सन्दर्भ में) (1)

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "JAMULA" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	CMSC	0	239727	0	239727	239727	0
3	5 SFC	-82100	791714	0	709614	523789	185825
4	14TH FC	22394.35	0	4818.65	27213	21921	5292
5	15TH FC	934899.3	319421	30858	1285178.3	271641	1013537.3
6	BGP	1000000	0	0	1000000	0	1000000
7	SBM	-57967.7	72000	0	14032.3	12000	2032.3
8	SJVN	120370	0	0	120370	139870	-19500
9	SDP	-45454	60000	0	14546	0	14546
10	MNREGA	0	1468316	0	1468316	1468316	0
	Total Rs.	1892141.95	2951178	35676.65	4878996.6	2677264	2201732.6

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source,CMSC, 5TH, 14thFC, ,15th FC, BGP,SBM',SJVN,SDP,.

A/c No. 1541000100009023	PNB DAROH		471541.83
A/c No.20093004053	KCCB GARH		1339283
A/c No. 1541000102079048	PNB DAROH		84640.94
A/c No 1541000102110460	PNB DAROH		5292
A/c No 501003325225026	HDFC	15th FC	1013537.3
cash in hand			0
		Total	**2914295.07**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			634606.41
Cash Book Balance on 31.03.2024			0
Cash Book Balance on 31.03.2024			185825
Cash Book Balance on 31.03.2024			5292
Cash Book Balance on 31.03.2024			1013537.3
Cash Book Balance on 31.03.2024			1000000
Cash Book Balance on 31.03.2024			2032.3
Cash Book Balance on 31.03.2024			-19500
Cash Book Balance on 31.03.2024			14546
		Total	**2836339.01**
		diffrence	**-77956.06**

Checked

Pradhan

Secretary

Gram Panchayat Jamula

Dev. Block Sulah at Bhedu Mahadev

②

Financial Position of Own sources in r/o GP JAMULA 2023-24

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	630244.41	144520	37440	812204.41	177598	634606.41

President Secretary
Gram Panchayat Jamula
Dev. Block Sulah at Bhedu Mahadev

परिशिष्ट-2
अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 के सन्दर्भ में।

List of outstanding Property tax for the period of 2023-2024 in r/o GP Jamula
Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2023-24	15260	30500	45760	25092	20668
		Rate 50/- per annum			

परिशिष्ट-3
(आवेदन प्रतिवेदन के पत्र संख्या 7 के सम्बन्धित) (1)

Gram Panchyat Jamula Dev.Block Sulah FY-2023-24

Sr. No.	Name Of Work	Head	Vender Name	Voucher No. & Date	Bill No.& Date	Sand (CFT)	Crusher (CFT)	Bolder (CFT)	Amount
1	चोऊ कुहल कृपाल चंद से लाहड	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	107 & 31/07/202 3	0	70	0	2551
2	नि.नालिया दिनेश कटोच के जमीन से कृपाल कुहल टिका प्लेड	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	108 & 31/07/202 3	180	260	0	18148
3	नि.एम्बुलेंस रोड थलेडू गाँव से दाटी सुन्ह रोड	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	109 & 31/07/202 3	180	180	70	17585
4	नि.एम्बुलेंस रोड लाहडू बोडी से राज कुमार के घर की ओर	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	112 & 31/07/202 3	100	180	70	13730
5	एम्बुलेंस रोड मेन रोड से बलवंत सिंह के घर की ओर	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	111 & 31/07/202 3	350	420	0	32171
6	एम्बुलेंस रोड मेन रोड से बलवंत सिंह के घर की ओर	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	110 & 31/07/202 3	130	180	0	12800
7	नि.एम्बुलेंस रोड प्रा.पाठशाला वागडू से हरिजन बस्ती की ओर	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	113 & 31/07/202 3	180	360	360	33886
8	नि.एम्बुलेंस रोड प्रा.पाठशाला वागडू से हरिजन बस्ती की ओर	Mnrega	Er.Pranshu Builders	10/4/2023	114 & 31/07/202 3	280	180	280	29460
9	नि.डंगा चैन सिंह गद्दी के घर के पास चान्द्र	Mnrega	Er.Pranshu Builders	29/08/2024	134 & 16/09/202	130	180	0	13220
10	नि.डंगा प्रीतम चंद नौरा	Mnrega	Er.Pranshu Builders	29/08/2024	135 & 16/09/202 3	130	180	0	13220
11	नि.डंगा निशा देवी पत्नी नरेश कुमार प्लेड	Mnrega	Er.Pranshu Builders	20/11/2022	072 & 05/09/202 3	140	180	0	13304
12	नि.डंगा शकुंतला देवी पत्नी संत राम जमुला	Mnrega	Er.Pranshu Builders	20/11/2023	071 & 05/09/202 3	160	180	0	14269
13	नि.एम्बुलेंस रोड थलेडू गाँव से दाटी सुन्ह रोड	Mnrega	Kuldeep Chand	18/08/2022	507 & 05/09/202 3	140	140	140	16359
14	मुरम्मत नौंन जमुला	15th FC	Er.Pranshu Builders	30/03/2023	060 & 14/06/202 3	180	0	0	5250
15	पंचवटी पार्क तलिनू	15th FC	Er.Pranshu Builders	30/03/2023	14/06/202 3	180	180	[illegible]	12580

248533

20

16	नि.रास्ता गाँव बगड़ू	15th FC	Er.Pranshu Builders	26/01/2024	165 & 07/02/2024	540	540	540	36288
17	नि.रास्ता वीरेंदर शर्मा के घर से जगन्नाथ शर्मा के घर के ओर	15th FC	Er.Pranshu Builders	22/01/2024	163 & 07/02/2024	70	70	14[illegible]	8250
18	नि.रास्ता वीरेंदर शर्मा के घर से जगन्नाथ शर्मा के घर के ओर	15th FC	Er.Pranshu Builders	2/2/2024	179 & 26/03/2024	420	540	200	15248
						3490	**4020**	1800	

Secretary
Gram Panchayat Bhamula
Dev. Block Sulah (Kangra)